

डाक-व्यव को पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम. पी.
बि. पृ. भ. 04 भोपाल-2001.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम.पी. 108/भोपाल/2001.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 323]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 7 जून 2001—ज्येष्ठ 17, शक 1923

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जून 2001

क्र. (23) बी-1-74-97-वा. कर-पांच.—मध्यप्रदेश आवकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (1) के साथ परिवर्तित उपधारा (2) के खण्ड (ळ), (च) तथा (ज) द्वारा प्रदत्त शब्दियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14-पांच-पा.आ. तारीख 7 जनवरी, 1960 द्वारा प्रकाशित रूल्स आफ जनरल एलीकेशन में निम्नलिखित संशोधन करती है, जिसका धारा 62 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार "मध्यप्रदेश राजपत्र" में पूर्व में प्रकाशन किया जा सकता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 1 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"1. दुकानों की अवस्थिति-(1) किसी फुटकर दुकान को परिसर में मदिरा का उपभोग करने के लिए अनुमति देते समय निम्नलिखित स्थितियों पर विचार किया जाएगा, यदि दुकान,—

(क') किसी मिल, कारखाने या अन्य स्थान के, जहां श्रमिकों का विशाल समूह नियोजित हो, आसपास में है, तो मिल के स्वामी या श्रमिकों के ऐसे नियोजक को ऐसी दुकान खोलने के प्रस्ताव पर उनकी आपत्तियों को कठित करने का अवसर दिया गया है।

(ख) किसी धार्मिक या किसी शैक्षणिक संस्था, किसी अस्पताल, अनुसूचित जातियों के सदस्यों की किसी कालोनी, किसी श्रमिक कालोनी या किसी बस स्टेट्ट, रेल्वे स्टेशन, किसी गार्डीय राजमार्ग, किसी गार्ड राजमार्ग, के निकट है या

जहां राज्य सरकार की मंजूरी अभिग्राह की गई है, सिवाय इसके कि जहां ऐसी दुकान, ऐसे स्थान के 50 मीटर या उससे अधिक की दूरी पर स्थित है।

(2) दुकान की स्थिति ऐसी होगी कि उसमें प्रवेश करने वाला व्यक्ति देखे जाने से बच न सके, परन्तु वह ऐसी सुस्पष्ट भी नहीं होगी कि गुजरने वाले व्यक्ति उस ओर ध्यान देने को बाध्य हो जाएं।

(3) यदि ऐसी अनुमति मंजूर किए जाने के पश्चात्, किसी भी समय, उप नियम (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई संस्था (शैक्षणिक या धार्मिक), अस्पताल या बस स्टेंड आदि, उस दुकान से पचास मीटर या उससे कम की दूरी के भीतर अस्तित्व में आते हैं तो परिसर में उपभोग के लिए अनुमति कोई मंदिर दुकान, उप नियम (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रतिषिद्ध दूरी के भीतर स्थित नहीं समझी जाएगी :

परन्तु इस नियम के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे :—

(क) ऐसी दुकान को, जो तारीख 31 मार्च, 1996 को पिछले तीन वर्षों से वर्तमान स्थल पर विद्यमान रही हों, ¹

(ख) प्रूप एफ. एल.-1 या में अनुमति धारण करने वाली दुकानों को, यदि वे उप नियम (2) के उपबंधों का अनुपालन करती हों।

स्पष्टीकरण।— इस नियम के प्रयोजनों के लिए—

(क) “शैक्षणिक संस्था” से अभिप्रेत है किसी स्थानीय प्राधिकारी या राज्य सरकार अधिकार केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रबंधित या मान्यता प्राप्त कोई पूर्व प्राधिमिक, प्राधिमिक या सेकण्डरी स्कूल और विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध कोई महाविद्यालय किन्तु इसमें कोचिंग संस्था सम्मिलित नहीं है।

(ख) “धार्मिक संस्था” से अभिप्रेत है ऐसी संस्था जो किसी धर्म की प्रोन्ति के लिए हो, और उसमें सम्मिलित है ऐसा मंदिर, मठ, मस्जिद, गिरजाघर या सार्वजनिक धार्मिक पूजा का अन्य स्थान, जिनका मध्यप्रदेश परिवहन ट्रस्ट एक्स्ट, 1951 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन रजिस्ट्रीकूट किसी लोक न्यास द्वारा प्रबंध किया जाता हो, या उसके स्वामित्व में हो और उसमें अन्य ऐसी धार्मिक संस्थाएं सम्मिलित होंगी, जैसा कि राज्य सरकार, आदेश द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

(ग) उप नियम (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट दूरी का माप, दुकान के प्रवेश के मध्य बिन्दु से ऐसे निकटतम मार्ग से किया जाएगा जिससे कोई पदाति (पिडेस्ट्रिअन)।—

(एक) यदि कोई अहाता दीवार है तो संस्था के निकटतम द्वार के मध्य बिन्दु तक और यदि कोई अहाता दीवार नहीं है तो संस्था के निकटतम प्रवेश के मध्य बिन्दु तक, या

(दो) यदि कोई अहाता दीवार है तो मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेंड, स्टेशन या डिपो के निकटतम द्वार के मध्य बिन्दु तक और यदि कोई अहाता दीवार नहीं है तो, ऐसे बस स्टेंड, स्टेशन या डिपो की सीमा के निकटतम बिन्दु तक साधारणतः पहुंचता है।

(घ) “बस स्टेंड” से अभिप्रेत है यथास्थिति, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम या नगरपालिक निगम या किसी अन्य स्थानीय निकाय का बस स्टेंड,

(ङ) “अस्पताल” से अभिप्रेत है राज्य या केन्द्रीय सरकार अथवा किसी पूर्त (चेरीटेबल) संस्था द्वारा चलाया जा रहा कोई अस्पताल या उपचारी गृह जहां 10 रोगियों की भर्ती तथा उपचार के लिए कम से कम 10 विस्तरों की सुविधाएं उपलब्ध हों।

भोपाल, दिनांक 7 जून 2001

क्र. बी-1-74-97-वा. कर-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक (23) बी-1-74-97-वा. कर-पांच, दिनांक 7 जून 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डॉ. डॉ. अग्रवाल, उपसचिव,

Bhopal, the 7th June 2001

No. (23) B-1-74-97-CTD-V.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (e), (f) and (h) of sub-section (2) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government hereby makes the following amendment in the Rules of General Application published *vide* this Department Notification No. 14-V-SR dated 7th January 1960, the same have been previously published in the "Madhya Pradesh Gazette" as required by sub-section (3) of Section 62, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, for rule 1, the following rule shall be substituted, namely :—

"1. Location of Shops.—(1) At the time of granting licence to a retail shop for the consumption of liquor on the premises, the following conditions shall be considered if the shop is—

(a) in the neighbourhood of a mill, factory or other place where a large body of labourers is employed, the mill owner of such employer of labourers an opportunity of stating their objections to the proposal for opening of such shop has been given.

(b) near a religious or any educational institution a hospital, a colony of members of Scheduled Castes, a labour colony, or a bus stand, railway station, national highway, a state highway or where the sanction of the State Government is obtained except when such shop is situated at a distance of 50 meters or more from such place.

(2) The position of a shop shall be such that no person entering it shall escape observation, but it shall not be so prominent as to compel attention of persons passing by.

(3) Any liquor shop licensed for consumption on the premises shall not be deemed to be situated within prohibited distance referred to in clause (b) of sub-rule (1), if at any time after such licence is granted, any institution (education or religious), hospital, or bus stand etc. referred to in clause (b) of sub-rule (1) comes into existence within a distance of fifty meteres or less from that shop :

Provided that the provisions of this rule shall not apply (a) to a shop which is existing at the present site for the last three years as on 31 March 1996, (b) to shops holding licence in form F.L. 1B if they comply with the provisions of sub-rule (2).

Explanation.—for the purposes of this rule—

(a) "Educational institution" means any pre-primary, primary or secondary school managed or recognised by any local authority or the State Government or the Central Government and any college affiliated to any University established by law, but does not include any coaching institution.

(b) "Religious institution" means an institution for the promotion of any religion and includes temple, math, mosque, church or other place of public religious worship which is managed or owned by a public trust registered under the Madhya Pradesh Public Trusts Act, 1951 or any other enactment for the time being in force and shall include such other religious institutions as the State Government may by order specify in this behalf.

(c) The distance referred to in clause (b) of sub-rule (1) shall be measured from the mid point of the entrance of the shop along the nearest path by which a pedestrian ordinarily reaches,—

- The mid point of the nearest gate of the institution if there is a compound wall and if there is no compound wall the mid point of the nearest entrance of the institution, or
- The mid point of the nearest gate of the Bus stand, Station or depot or Madhya Pradesh State Road Transport Corporation if there is a compound wall and if there is no compound wall the nearest point of the boundary of such Bus stand, station, or depot.

(d) "Bus Stand" means bus stand of MPSRTC or of Municipal Corporation or any other local body as the case may be.

(e) "Hospital" means any hospital or nursing home run by State or Central Government or by any "Charitable institution", where at least facilities of 10 Beds are available for admission and treatment of 10 patients.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
D. D. AGRAWAL, Dy. Secy.